



# सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस-नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

- ◆अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे ।
- ◆थाना कठेला समयमाता पुलिस को मिली सफलता ।
- ◆गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व दरवेश कुमार क्षेत्राधिकारी शोहतगढ के कुशल निर्देशन तथा सन्तोष कुमार सिंह थानाध्यक्ष कठेला समयमाता मय फोर्स के द्वारा आज दिनांक 24.06.2024 को मु0अं0स0 86/24 धारा 366, 376, 323, 504, 506 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त को तेंदुआ बन्धा के नीचे आम के बगीचे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01.रमजान पुत्र शमसुल्लाह साकिन औरहवा टोला बडुईया थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01.संतोष कुमार सिंह थानाध्यक्ष कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर ।

01.आ0 राजेश यादव थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.आ0 दिलीप कुमार थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 24-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थानाक्षेत्र बांसी में हुए 40 वर्षीय पुरुष के हत्या की घटना का थाना बांसी पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण कर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

◆घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट का टुकड़ा हुआ बरामद ।

◆गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, सतीश चंद्र पांडेय क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण, विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2024 को मु0अ0सं0 0135/2024 धारा 302 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को कस्बा बांसी के माधव तिराहा के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त दयाराम उर्फ रामदयाल उर्फ दयालु पुत्र बेचन प्रसाद निवासी ग्राम सियरापार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि हमारा ₹40,000/- हमारे साले प्रकाश पुत्र झीनक काफी पहले लिये थे जिसको मैंने मांगा तो हमसे उलझ गये हमको पैसे की शख्त आश्यकता थी मैं काफी परेशान था इसी कारण से गुस्सा में आकर मैंने प्रकाश का जो अपने चाय की दुकान के तख्त पर लेटा था, को ईंट से काफी गहरा चोट पहुंचाया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. दयाराम उर्फ रामदयाल उर्फ दयालु पुत्र बेचन प्रसाद निवासी ग्राम सियरापार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

**बरामदगी का विवरण-**

1.आला कत्ल ईंट का टुकड़ा, खूनालुद मिट्टी, एक जोड़ी चप्पल, पांच अदद दांत का टुकड़ा, सादी मिट्टी, कथरी, 260 रुपया, दो चाभी, हाफ पैन्ट ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.उ0नि0 मनोज कुमार श्रीवास्तव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.आरक्षी रविकान्त मिश्रा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.आरक्षी अरविन्द मद्धेशिया थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

05.महिला आरक्षी पूजा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुश्री प्राची सिंह ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 24.06.2024 को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुश्री प्राची सिंह द्वारा जनसुनवाई कर शिकायतकर्ता की समस्या को सुनकर संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को गूगल मीट के माध्यम से तत्काल गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 26 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 06 भूमि विवाद, 01 मारपीट व 19 अन्य से संबंधित थे। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

## प्रेस-नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

- ◆ यूपी गैंगस्टर एक्ट का ₹25,000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।
- ◆ थाना मोहाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता ।
- ◆ वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, अरूणकान्त सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जीवन त्रिपाठी थानाध्यक्ष मोहाना मय फोर्स द्वारा आज दिनांक 24.06.2024 को मु0अ0सं0 27/24 धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्त को पननी हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर रोड के किनार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-

01.दिलीप पाण्डेय पुत्र विद्या निवास पाण्डेय साकिन तिघरा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.जीवन त्रिपाठी थानाध्यक्ष मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.मु0आ0 रवि कुमार यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.आ0 सिद्धार्थ सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.आ0 अमरेन्द्र यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस-नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

- ◆ शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे ।
- ◆ थाना इटवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता ।
- ◆ अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के निर्देशन एवं संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2024 को थाना इटवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 87/24 धारा- 380, 411, 413, 457, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त को ग्राम मधवापुर सिकरी नाला पुल बढनी रोड से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. इब्राहिम पुत्र अजीमुल्लाह ग्राम पिपरा पठान मुर्गिहवा थाना इटवा जनपद सि0नगर बरामदगी का विवरण-

01. एक अदद स्पेलेंडर प्लस मोटर साइकिल UP55AH9874 (चोरी की) ।
02. एक अदद मंगलसूत्र ।
03. एक अदद नथिया लरीदार पीली धातु ।
04. 14000 रूपया नकद ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 प्रदीप कुमार चौहान, गोपाल प्रसाद, सर्वेश चन्द थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. मु0आ0 देवनाथ यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. आ0 रंजीत सिंह, प्रवीन कुमार, पप्पू गुप्ता थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 24-06-2024 महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे परिवार परामर्श केंद्र जब/नई-किरण(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) के तहत महिला थाना द्वारा 02 परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर उनके परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 24.06.2024 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । जिसमें परामर्श के बाद 02पत्रावली का सफल निस्तारण कर 02 परिवार को बिखरने से बचाया गया शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है 02 परिवार को बिखरने से बचाने में थानाध्यक्ष शाइस्ता , उप निरीक्षक सुरेश प्रसाद , महिला हेड कांस्टेबल सत्या त्रिपाठी, का0 नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण निम्न है-

01. सफीना पत्नी शहबाज अली साकिन देवरा बाजार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
02. 02.आसमा खातून पत्नी मोहम्मद इशहाक निवासी अठकोनिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.06.2024 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना जोगिया उदयपुर, बांसी के कस्बा बांसी, तिलौरी बाजार, जोगिया कस्बा, योगमाया मन्दिर व होटल, स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी तथा चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही ।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

- 01-म0उ0नि0 मीरा चौहान प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03-महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस-नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ के तस्कर को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹80,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 24.06.2024 को ST.N 34/2011 मु0अ0सं0 833/2011 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना ढेबरुआ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार गुप्ता उर्फ बम्मड़ पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासी वार्ड नं0 2 भट्टा मोहल्ला कस्बा बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹80,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राम सूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी नसीम अहमद थाना ढेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा ।



## प्रेस नोट दिनांक 24-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा वाहनों में हूटर / सायरन, लाल नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध की जा रही है विधिक कार्यवाही ।

शासन एवं यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशों के क्रम में वाहनों में हूटर / सायरन, लाल नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आज दिनांक 24-06-2024 को सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों / मुख्य चौराहों पर वाहन में नियम विरूद्ध / अवैधानिक रूप से हूटर/सायरन, लाल नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों की चैकिंग करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहनों पर अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन, लाल नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया गया ।

प्रेस-नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

- ◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना जोगिया उदयपुर के ग्राम गुल्हरिया में हुई सामुहिक दुष्कर्ण की सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया ।
- ◆प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

आज दिनांक 24.06.2024 को थाना जोगिया उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुल्हरिया में हुई सामुहिक दुष्कर्म की सूचना पर सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, क्षेत्राधिकारी बासीं, प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

## प्रेस नोट दिनांक 24.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर रुट मार्च/पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया गया ।

सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24-06-2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गश्त कर आम-जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया । आपस में सौहार्द बनाये रखने व अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी खबर की प्रमाणिकता जाने बिना शेयर न करने हेतु अपील किया गया ।